

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2007/भाद्र 22, 1929

No. 267]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2007/BHADRA 22, 1929

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2007

सं. 10(3)/2007-डीबीए-II/एनईआर.—केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार की दिनांक 27 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. 10(3)/2007 डीबीए-II/एनईआर में, जिसका शीर्षक 'केन्द्रीय पूंजी राजसहायता योजना, 2007' था, निम्नलिखित संशोधन करती है :

2. उपर्युक्त के पैरा 4 के तहत मौजूदा, उप-पैरा (ख) और (ग) के स्थान पर, जिसका शीर्षक "परिभाषाएँ" था, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"4. परिभाषाएँ :

(ख) 'नई औद्योगिक इकाई' का अर्थ है ऐसी औद्योगिक इकाई, जो व्यावसायिक उत्पादन अप्रैल, 2007 के प्रथम दिवस को या उसके बाद लेकिन मार्च, 2017 के 31वें दिन के बाद नहीं, आरंभ करे ।

(ग) 'मौजूदा औद्योगिक इकाई' का अर्थ है, ऐसी औद्योगिक इकाई, जो 1-4-2007 से पहले व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करे ।"

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY  
(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2007

No. 10(3)/2007-DBA-II/NER.—The Central Government hereby makes the following amendments in

the Government of India Notification No. 10(3)/2007-DBA-II/NER dated the 27th July, 2007 titled 'Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2007'.

2. In place of existing sub-para (b) and (c) under para 4 thereof titled 'Definitions', the following shall be substituted:

"4 Definitions :

(b) 'New industrial unit' means an industrial unit which commences commercial production on or after the first day of April, 2007 but not later than 31st day of March, 2017.

(c) 'Existing industrial unit' means an industrial unit which commenced commercial production before 1-4-2007".

N. N. PRASAD, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2007

सं. 10(3)/2007-डीबीए-II/एनईआर.—केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार की दिनांक 27 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. 10(3)/2007 डीबीए-II/एनईआर में, जिसका शीर्षक 'केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना, 2007' था, निम्नलिखित संशोधन करती है :

2. उपर्युक्त के पैरा 4 के तहत मौजूदा, उप-पैरा (ख) और (ग) के स्थान पर, जिसका शीर्षक "परिभाषाएँ" था, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"4. परिभाषाएँ :

(ख) 'नई औद्योगिक इकाई' का अर्थ है ऐसी औद्योगिक इकाई, जो व्यावसायिक उत्पादन अप्रैल, 2007 के प्रथम दिवस को या

उसके बाद लेकिन मार्च, 2017 के 31वें दिन के बाद नहीं, आरंभ करे।

(ग) 'मौजूदा औद्योगिक इकाई' का अर्थ है, ऐसी औद्योगिक इकाई, जो 1-4-2007 से पहले व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करे।"

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2007

**No. 10(3)/2007-DBA-II/NER.**—The Central Government hereby makes the following amendments in the Government of India Notification No. 10(3)/2007-DBA-II/NER dated the 27th July, 2007 titled 'Central Interest Subsidy Scheme, 2007'.

2. In place of existing sub-paras (b) and (c) under para 4 thereof titled 'Definitions', the following shall be substituted:

#### "4. Definitions :

- (b) 'New industrial unit' means an industrial unit which commences commercial production on or after the first day of April, 2007 but not later than 31st day of March, 2017.
- (c) 'Existing industrial unit' means an industrial unit which commenced commercial production before 1-4-2007."

N. N. PRASAD, Jt. Secy.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2007

सं. 10(3)/2007-डीबीए-11/एनईआर.—केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार की दिनांक 27 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. 10(3)/2007 डीबीए-11/एनईआर में, जिसका शीर्षक 'केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना, 2007' था, निम्नलिखित संशोधन करती है :

2. उपर्युक्त के पैरा 4 के तहत मौजूदा, उप-पैरा (ख) और (ग) के स्थान पर, जिसका शीर्षक "परिभाषाएं" था, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

#### "4. परिभाषाएं :

(ख) 'नई औद्योगिक इकाई' का अर्थ है ऐसी औद्योगिक इकाई, जो व्यावसायिक उत्पादन अप्रैल, 2007 के प्रथम दिवस को या उसके बाद लेकिन मार्च, 2017 के 31वें दिन के बाद नहीं, आरंभ करे।

(ग) 'मौजूदा औद्योगिक इकाई' का अर्थ है, ऐसी औद्योगिक इकाई, जो 1-4-2007 से पहले व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करे।"

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2007

**No. 10(3)/2007-DBA-II/NER.**—The Central Government hereby makes the following amendments in the Government of India Notification No. 10(3)/2007-DBA-II/NER dated the 27th July, 2007 titled 'Central Comprehensive Insurance Scheme, 2007'.

2. In place of existing sub-paras (b) and (c) under para 4 thereof titled 'Definitions', the following shall be substituted:

#### "4 Definitions :

- (b) 'New Industrial Unit' means an industrial unit which commences commercial production on or after the first day of April, 2007 but not later than 31st day of March, 2017.
- (c) 'Existing industrial unit' means an industrial unit which commenced commercial production before 1-4-2007."

N. N. PRASAD, Jt. Secy.